न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 156/2022 **दायर दिनांकः 24/11/2022**

उनवान

1. विश्वेन्द्रसिंह मीणा आयु 23 वर्ष पुत्र रामप्रसाद जाति मीणा निवासी ननावता तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. लोकेश मीणा आयु 29 वर्ष पुत्र रामप्रसाद जाति मीणा निवासी ननावता तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर0टी0एक्ट0 एवं 136 एल0आर0एक्ट0

उपस्थिति :—
वादीगण :—विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन
प्रतिवादी :— विद्वान पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनाकः 19/01/2022

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89, 91 आर टी एक्ट एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल बानपुर तहसील अटरू जिला बारां (राज0) मे वादीगण एवं अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 172 का ख0नं0 311/785 का रकबा 0.14 है0 एवं ख0नं0 490 का रकबा 1.82 है० किता 2 की कुल 1.96 है0 स्थित दर्ज खाता चली आ रही हैं। जिसमे वादीगण नाबालिग दर्ज हैं जो वर्तमान मे बालिग हो चुके हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर वाद पत्र के साथ पेश हैं जो काबिल गौर है। प्रतिवादी के अधिनस्थ कर्मचारियो द्वारा राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी क्रम 1 का नाम विश्वेन्द्रसिंह मीणा के स्थान पर गलत नाम पुष्पेन्द्र राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया हैं। जबकि वादी क्रम 1 का पहचान पत्र भारत सरकार द्वारा

जारी आधार आम आदमी का अधिकार, बैंक पास बुक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अंक तालिका एवं माल ननावता की जमाबन्दी खाता संख्या 254 मे भी वादी क्रम 1 का सही नाम विश्वेन्द्रसिंह मीणा दर्ज है। वादी क्रम 1 का नाम माल बानपुर की आराजी में गलत दर्ज हो जाने की वजह से तथा वादीगण राजस्व रिकार्ड में नाबालिग दर्ज होने की वजह से वादीगण राज्य सरकार से मिलने वाले लाभ एवं परिलाभो एवं भूमि विकास कराने से वंचित हो रहे हैं। इस वजह से वादी क्रम 1 माल बानपुर की आराजी जमाबन्दी में दर्ज गलत नाम पुष्पेन्द्र के स्थान पर विश्वेन्द्रसिंह मीणा दर्ज करवा पाने तथा वादीगण राजस्व रिकार्ड में नाबालिग से बालिग दर्ज करवा पाने के अधिकारी हैं। बिना सहायता न्यायालय वाद पत्र की मद नं० 1 मे वर्णित आराजी मे वादी क्रम 1 अपना नाम पुष्पेन्द्र के स्थान पर विश्वेन्द्रसिंह मीणा दुरूस्त करवाया जाना तथा वादीगण को राजस्व रिकार्ड मे नाबालिग से बालिग दर्ज करवाया जाना सम्भव नहीं हैं। यदि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम दुरूस्त नहीं किया गया एवं वादीगण को नाबालिग से बालिग दर्ज नही किये जाने की सूरत मे वादीगण को आराजी पर राज्य सरकार द्वारा मिलने वाले लाभ एवं परिलाभो तथा कृषि ऋण प्राप्त करने से वंचित होना पेडगा। जिसके फलस्वरूप वादीगण को अपरिमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नही हैं। अस्तु वादीगण वाद पत्र के मद नं० 1 मे वर्णित आराजी खाता संख्या 172 किता 2 का कुल रकबा 1.96 है0 आराजी मे वादी क्रम 1 अपना नाम पुष्पेन्द्र के स्थान पर विश्वेन्द्रसिंह मीणा दर्ज करवाकर खाता दुरूस्त करवाने तथा वादीगण नाबालगि से बालिग दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा हैं। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 11.11.2022 को राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त करने पर उसमे वादी क्रम 1 का गलत नाम दर्ज पाया जाने पर तथा अन्तिम बार दिनांक 14.11.2022 को प्रतिवादी से नाम दुरूस्त करने का आवेदन पेश करने पर वादी क्रम 1 का नाम दुरूस्त नहीं करने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र मे उत्पन्न हुआ। वादीगण द्वारा अपने अभिभाषक के माध्यम से राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलेक्टर महोदय बारां को रजिस्टर्ड नोटिस मियादी 2 माह प्रेषित करवा दिया हैं। लेकिन वादीगण राज्य सरकार से मिलने वाले लाभ एवं परिलाभो से एवं कृषि ऋण प्राप्त करने से वंचित हो रहे हैं। इस वजह से वादीगण का वाद आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस अवधि 2 माह समाप्त होने से पूर्व ही धारा 80 (2) के प्रार्थना पत्र के साथ वाद पेश किया जा रहा हैं। राजस्थान सरकार भूमि धारी होने से एवं वाद नाम दुरुस्ती का होने से श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया

हैं। वादग्रस्त आराजी ग्राम एवं माल बानपुर तथा पक्षकारान ग्राम ननावता तहसील अटरू जिला बारां (राज0) मे स्थित हैं। जिसका क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। अतः वादीगण माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमाई जावें।

(अ) वाद पत्र के मद नं० 1 मे वर्णित आराजी खाता संख्या 172 किता 2 रकबा 1.96 है0 वाके ग्राम एवं माल बानपुर के राजस्व रिकार्ड में वादीगण को नाबालिग से बालिग दर्ज करने व वादी क्रम 1 का नाम पुष्पेन्द्र के स्थान पर विश्वेन्द्रसिंह मीणा दुरूस्त करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जायें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावें ।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नही करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया। पेरोकार सरकार द्वारा सीधे बहस करने का निवेदन किया गया।

3. साक्ष्यवादी क तहत pw 1 का सशपथ गवाह बयान दर्ज किये गये। साक्ष्यवादी ने अपने सशपथ बयान किया कि मैं विश्वेन्द्र सिंह मीणा व मेरे भाई लोकेश मीणा के शामलाती खाते की जमीन माल बानपुर तहसील अटरू में खाता संख्या 172 की कुल 2 किता की 1.96 है0 आराजी स्थित है। हम दोनों भाईयों का राजस्व रिकार्ड में नाम नाबालिग के तौर पर दर्ज है जबकि हम दोनों भाई बालिग हो चुके है। मेरी उम्र 23 साल है बडे भाई 29 साल के हो चुके है। हम दोनों भाई बालिग होने की वजह से राजस्व रिकार्ड में बालिग दर्ज किया जावे। राजस्व कर्मचारियों ने मेरा नाम विश्वेद्रसिंह मीणा के स्थान पर पुष्पेन्द्र कर रखा है जबकि पहचान पत्र, बैक पासबुक व ननावता की जमांबंदी खाता संख्या 254 व माध्य शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका में मेरा नाम विश्वेन्द्र सिंह सही दर्ज हैं मैने यह कार्यवाही इसलिए कि है कि उम्र के मुताबिक हक दोनों भाईयों को बालिग दर्ज किया जावे तथा ग्राम बानपुर की खाता संख्या 172 की जमाबंदी में अशुद्ध नाम पुष्पेन्द्रसिंह को सही करते हुए विश्वेन्द्रसिंह मीणा दर्ज किया जावे।

4. अभिभाषक वादीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीगण ने बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम बानपुर के खाता संख्या 172 किता 2 की कुल 1.96 है0 आराजी में वादीगण को नाबालिग दर्ज किया हुआ है जबकि वादीगण वर्तमान में बालिग हो चुके है तथा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादी क्रम 1 का गलत नाम पुष्पेन्द्र दर्ज कर दिया है जबकि वादी क्रम 1 का सही नाम विश्वेन्द्रसिंह मीणा है जो उसके सभी दस्तावेजों अंकतालिका, आधार कार्ड, बैंक पास बुक आदि में सही नाम विश्वेन्द्रसिंह ही दर्ज है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण को बालिग एवं वादी क्रम 1 का नाम पुष्पेन्द्र के स्थान पर विश्वेन्द्रसिंह मीणा दर्ज किया जावे।

पेरोकार सरकार की ओर से नायब तहसीलदार अटरू उपस्थित हुऐ तथा बहस के दौरान अभिभाषक वादीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष पर कोई आपत्ति पेश नहीं की गई।

5. अभिभाषक वादीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम बानपुर की जमाबंदी संवत 2071–74 प्रदर्श पी 3 के खाता संख्या 172 का ख0नं0 311/785 का रकबा 0.14 है0 एवं ख0नं0 490 का रकबा 1.82 है० किता 2 की कुल 1.96 है0 आराजी में वादी क्रम 1 का नाम नाबालिग पुष्पेन्द्र पुत्र रामप्रसाद एवं वादी क्रम 2 का नाम नाबालिग लोकेश पुत्र रामप्रसाद सहखातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की माध्यमिक परीक्षा 2015 की अंकतालिका 'प्रदर्श पी 4ए' के अवलोकन से जाहिर है कि वादी क्रम 1 का नाम विश्वेन्द्र सिंह मीणा एवं जन्म दिनांक 23.11.1999 अंकित है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की माध्यमिक परीक्षा 2009 की अंकतालिका 'प्रदर्श पी 4ए' के अवलोकन से जाहिर है कि वादी क्रम 2 का लोकेश मीणा की जन्म दिनांक 22.11.1993 अंकित है। वादी क्रम 1 का नाम आधार कार्ड 'प्रदर्श 5ए में विश्वेन्द्र सिंह मीना पुत्र रामप्रसाद, बैंक पास बुक प्रदर्श 6ए में विश्वेन्द्र सिंह मीना अंकित है। ग्राम ननावता की प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2073–76 के खाता संख्या 254 की किता 3 रकबा 0.52 है0 आराजी में वादी क्रम 1 का नाम विश्वेन्द्र पुत्र रामप्रसाद हिस्सा 1/70 जाति मीना दर्ज रिकार्ड है।

6. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण से स्पष्ट है कि वादीगण वर्तमान में बालिग हो चुके है एवं वादी क्रम 1 का सही नाम विश्वेन्द्र सिंह मीना ही है। अतः वादीगण को राजस्व रिकार्ड

जमाबंदी में बालिग दर्ज किया जाना एवं वादी क्रम 1 का नाम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित होगा।

—:क्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट0 एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट0 स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम बानपुर के खाता संख्या 172 का ख0नं0 311/785 का रकबा 0.14 है0 एवं ख0नं0 490 का रकबा 1.82 है० किता 2 की कुल 1.96 है0 आराजी में वादीगण को **बालिग** दर्ज किये जाने एवं वादी क्रम 1 का नाम पुष्पेन्द्र पुत्र रामप्रसाद के स्थान पर **विश्वेन्द्र सिंह मीना उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र रामप्रसाद** दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 156/2022 **दायर दिनांकः 24/11/2022**

उनवान

1. विश्वेन्द्रसिंह मीणा आयु 23 वर्ष पुत्र रामप्रसाद जाति मीणा निवासी ननावता तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. लोकेश मीणा आयु 29 वर्ष पुत्र रामप्रसाद जाति मीणा निवासी ननावता तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर0टी0एक्ट0 एवं 136 एल0आर0एक्ट0

उपस्थिति :–
वादीगण :–विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन
प्रतिवादी :– विद्वान पेरोकार सरकार

मिनजानित मुदई रूबरू .....ग.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम बानपुर के खाता संख्या 172 का ख0नं0 311/785 का रकबा 0.14 है0 एवं ख0नं0 490 का रकबा 1.82 है० किता 2 की कुल 1.96 है0 आराजी में वादीगण को **बालिग** दर्ज किये जाने एवं वादी क्रम 1 का नाम पुष्पेन्द्र पुत्र रामप्रसाद के स्थान पर **विश्वेन्द्र सिंह मीना उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र रामप्रसाद** दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....ग..... मुबालिक .....ग..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....ग..... ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....ग..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 19.01.2023 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)